न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र चवा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
भूराराम पुत्र श्री नारणाराम, जाति भील, निवासी–चवा तहसील एवं जिला बाड़मेर		1.सोनाराम पुत्र बींजाराम 2. गेनाराम पुत्र खेताराम 3. हरखाराम पुत्र खेताराम, 4. मानाराम पुत्र पेमाराम 5. मोहनराम पुत्र कौशलाराम 6. आम्बाराम पुत्र कौशलाराम 7. पाबूराम पुत्र पोलाराम जातियान भील, निवासी–चवा, तहसील व जिला बाडमेंर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–327/2019 **दिनांक–22.11.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चवा, पटवार मण्डल एंव भू.अ.नि.चवा तहसील व जिला बाडमेंर के खेत खसरा नम्बर 250 रकबा 12.08 बीघा, किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.04 बीघा, किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.06, किस्म गै.मु. ढाणी खसरा नम्बर 253 रकबा 12.04 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6433-6436 दिनांक– 22/11/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भूराराम पुत्र नारणाराम भील निवासी चवा, तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी सोनाराम पुत्र बींजाराम वगैरा जाति भील निवासी चवा, तहसील व जिला बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर